राजस्थान सरकार

(कायदा – 129) 2024/94

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111 – 128 प्रार्थना पत्र	43/24	27/2/2024		2/4/2024

अनवान

श्री रामलाल S/o पोखर जाति धाकड़

निवासी सुखपुरा, बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट

डिक्रीदार

श्री जगदीश चन्द्र धाकड़

श्री शम्भुलाल S/o जगन्नाथ जाति धाकड़

निवासी सुखपुरा, बिजौलिया

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी/ रेस्पोडेंट

मदयून

श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

रामलाल .... बनाम .... प्रेमसुखलाल ....

किस्म मुकदमा – ....111–128........ नम्बर ....43......../2024

रीख वम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
?/ 2 /2024	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक ..2../..4../2024 को पेश हों। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
2/4/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 4/4/24 को वास्ते निर्णय पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी	
4/4/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में आदेश पारित किए गए। आदेश पृथक से लिखवाए गए। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा (मुहर: कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां (भीलवाड़ा))	

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या 43/2024 दिनांक 27/01/2024

रामलाल पिता पोखर जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।

.........प्रार्थी

बनाम

1. शम्भुलाल पिता जगन्नाथ जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।
2. शिवलाल पिता जगन्नाथ जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।
3. सुगनलाल पिता कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।
4. मांगीलाल पिता कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।
5. मदनलाल पिता गौरीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।
6. मनोज पिता जीतमल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।

.......विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट

— : आदेश : — **दिनांक 04/04/2024**

प्रार्थना पत्र मैं रामलाल पिता पोखर जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0जरिये अभिभाषक **श्री जगदीश चन्द धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि मौजा ग्राम सुखपुरा पटवार हल्का सुखपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 124 पर अंकित आराजी 428 किता 1 रकबा 0.1376 हैक्टेयर भुमि स्थित है। विपक्षगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर लडाई झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्धान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नही पडता है। भु अभिनिरक्षिक बिजौलिया खुर्द को कमिश्नर नियुक्त किया गया व फीस 500/रू की पत्थरगढी बेवक्त प्रार्थी से अदा करेगा ।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार कि मौजा ग्राम सुखपुरा पटवार हल्का सुखपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 124 पर अंकित आराजी 428 किता 1 रकबा 0.1376 हैक्टेयर भुमि बिशामलाती पडोसीयान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/— रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।
आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या –43/ 2024 दिनांक :–27 /02/ 2024

प्रेषिति :–

तहसीलदार बिजौलियां

विषय :– प्रकरण संख्या 43/ 2024 पत्थरगढी बाबत् ।

रामलाल पिता पोखर जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0 ।

.........प्रार्थी

बनाम

1. शम्भुलाल पिता जगन्नाथ जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0 ।
2. शिवलाल पिता जगन्नाथ जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0 ।
3. सुगनलाल पिता कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0 ।
4. मांगीलाल पिता कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0 ।
5. मदनलाल पिता गौरीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0 ।
6. मनोज पिता जीतमल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0 ।

विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम सुखपुरा पटवार हल्का सुखपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 124 पर अंकित आराजी 428 किता 1 रकबा 0. 1376 हैक्टेयर भुमि की बशामलाती पडौसीयान की पत्थरगढी की जावें मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावें। तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। भु–अभिनिरक्षिक **बिजौलिया खुर्द** को कमिश्नर नियुक्त किया गया व फीस [illegible]/ रू की पत्थरगढी बेवक्त प्रार्थी से अदा करेगा। पत्थरगढी करने के पुर्व में विपक्षीगणो एवं पडौसीयान को नोटिस देकर सुचित करते हुये पत्थरगढी करे।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां (भीलवाड़ा)